
**The Mines and Minerals (Regulation and Development)
Act, 1957**

(Act No. 67 of 1957)

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957

(1957 का अधिनियम संख्यांक 67)

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957

धाराओं का क्रम

धाराएं	पृष्ठ
प्रारंभिक	
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	188
2. संघ नियंत्रण की समीचीनता की घोषणा	188
3. परिभाषाएं	188
पूर्वक्षेपण और खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने पर साधारण निर्बंधन	
4. पूर्वक्षेपण या खनन संक्रियाओं का अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन होना	189
4क. पूर्वक्षेपण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों की समाप्ति	189
5. पूर्वक्षेपण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अनुदान पर निर्बंधन	190
6. वह अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए पूर्वक्षेपण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा	191
7. वे कलावधियां जिनके लिए पूर्वक्षेपण अनुज्ञप्तियां अनुदत्त या नवीकृत की जा सकेंगी	191
8. वे कलावधियां जिनके लिए खनन पट्टे अनुदत्त या नवीकृत किए जा सकेंगे	192
9. खनन पट्टों के बारे में स्वामिस्य	192
9क. अनिवार्य भाटक पट्टेदार द्वारा संदत्त किया जाना	192
उस भूमि के बारे में, जिसके खनिज सरकार में निहित हैं, पूर्वक्षेपण अनुज्ञप्तियां या खनन पट्टे अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया	
10. पूर्वक्षेपण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के लिए आवेदन	193
11. कुछ व्यक्तियों का अधिमानी अधिकार	193
12. पूर्वक्षेपण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों के रजिस्टर	194
पूर्वक्षेपण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों का अनुदान विनियमित करने के लिए नियम	
13. खनिजों के बारे में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति	195
13क. भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र अथवा कान्टिनेन्टल शेल्फ के बारे में पूर्वक्षेपण अनुज्ञप्तियां अथवा खनन पट्टे प्रदान करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति	196
14. धारा 4 से धारा 13 तक का गौण खनिजों को लागू न होना	196
15. गौण खनिजों के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति	197
16. 25 अक्टूबर, 1949 के पूर्व अनुदत्त खनन पट्टों में उपान्तरण करने की शक्ति	198

धाराएं

पृष्ठ

कतिपय मामलों में पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने की केन्द्रीय सरकार की विशेष शक्तियां

17. कुछ भूमियों में पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने की केन्द्रीय सरकार की विशेष शक्तियां	198
17क. संरक्षण के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र का आरक्षण	199

खनिजों का विकास

18. खनिज विकास	199
18क. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि को अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति	200

प्रकीर्ण

19. यदि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां और खनन पट्टे इस अधिनियम का उल्लंघन करें तो उनका शून्य होना	201
20. अधिनियम और नियमों का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों के सभी नवीकरणों को लागू होना	202
21. शास्तियां	202
22. अपराधों का संज्ञान	202
23. कंपनियों द्वारा अपराध	202
23क. अपराधों का प्रशमन	203
23ख. तलाशी लेने की शक्ति	203
23ग. खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को निवारित करने के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति	203
24. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति	204
24क. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के धारक के अधिकार और दायित्व	205
25. कुछ राशियों की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली	205
26. शक्तियों का प्रत्यायोजन	205
27. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण	206
28. नियमों और अधिसूचनाओं का संसद के समक्ष रखा जाना और कतिपय नियमों का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना	206
29. विद्यमान नियमों का बना रहना	206
30. केन्द्रीय सरकार की पुनरीक्षण की शक्ति	206
30क. 25 अक्टूबर, 1949 के पूर्व अमुदत कोयले के लिए खनन पट्टों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध	206
31. विशेष मामलों में नियमों को शिथिल करना	206
32. [निरसित I]	207
33. कतिपय कार्यों को विधिमाम्य बनाना और उनके लिए परित्राण	207
प्रथम अनुसूची	207
द्वितीय अनुसूची	208
तृतीय अनुसूची	214

खान और खनिज ³[(विकास और विनियमन)] अधिनियम, 1957¹

(1957 का अधिनियम संख्यांक 67)

[28 दिसम्बर, 1957]

संघ के नियंत्रण के अधीन ²[खानों और खनिजों के विकास और विनियमन] का उपबन्ध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम खान और खनिज ³[(विकास और विनियमन)] अधिनियम, 1957 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख⁴ को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. संघ नियंत्रण की समीचीनता की घोषणा—एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि खानों का विनियमन और खनिजों का विकास इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार तक संघ अपने नियंत्रण में ले ले।

3. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "खनिज" के अंतर्गत खनिज तेलों के सिवाय सब खनिज हैं;

(ख) "खनिज तेल" के अंतर्गत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम भी हैं;

(ग) "खनन पट्टा" से खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने के प्रयोजनार्थ अनुदत्त पट्टा अभिप्रेत है और ऐसे प्रयोजनार्थ अनुदत्त उप-पट्टा इसके अंतर्गत है;

(घ) "खनन संक्रियाएँ" से किसी खनिज को लब्ध करने के प्रयोजनार्थ की गई कोई भी संक्रियाएँ अभिप्रेत हैं;

(ङ) "गौण खनिज" से इमारती पत्थर, बजरी, मामूली मृत्तिका, विहित प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली बालू से भिन्न मामूली बालू और कोई अन्य ऐसा खनिज अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गौण खनिज घोषित करे;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) "पूर्वदक्ष अनुज्ञप्ति" से पूर्वदक्ष संक्रियाओं का उपक्रम करने के प्रयोजनार्थ अनुदत्त अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

1. 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा उपान्तरणों सहित गोवा, दमण और दीव पर विस्तारित किया गया।

1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर विस्तारित और प्रवृत्त घोषित किया गया।

1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पण्डितवरी में यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ।

अधिसूचना सं० का० 756 (अ०) दिनांक 23-11-1979, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii), पृ० 1324 द्वारा उपान्तरणों सहित सिक्किम पर विस्तारित किया गया।

यह अधिनियम अधिसूचना सं० सा० को० नि० 2 (अ०) दिनांक 5-1-1980 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(i), पृ० 4 द्वारा (7-1-1980 से) अधिनियम सिक्किम राज्य में प्रवृत्त होगा।

2. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 3 द्वारा "(विनियमन और विकास)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. 1 जून, 1958; अधिसूचना सं० सा० को० नि० 432, दिनांक 29-5-1958, देखिए भारत का राजपत्र, 1958, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(i), पृ० 225.

(ज) "पूर्वक्षेत्र संक्रियाएं" से ऐसी संक्रियाएं अभिप्रेत हैं जिनका उपक्रम खनिज निक्षेपों की खोज करने, उनका स्थान-निर्धारण करने या उन्हें परिशिष्ट करने के प्रयोजनार्थ किया गया है: [1] * *

²[(जक) "भूमिक्षेत्र संक्रियाएं" से ऐसी संक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो प्रादेशिक, आकाशी, भूभौतिकीय या भूरासायनिक सर्वेक्षणों और भूवैज्ञानिक मानचित्रण के माध्यम से किसी खनिज के प्रारम्भिक पूर्वक्षेत्र के लिए की गई हैं किन्तु इसके अन्तर्गत गड्ढा बनाना, खाई खोदना, नरमाना (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किसी गिड पर बोरहोल ड्रसिंग से भिन्न) या उपसतह उत्खनन नहीं है:

(जख) "भूमिक्षेत्र अनुज्ञापत्र" से भूमिक्षेत्र संक्रियाएं करने के प्रयोजन के लिए अनुवत्त अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है: और]

(झ) "खान" और "स्वामी" पदों के यही अर्थ हैं जो उन्हें खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) में दिए गए हैं।

पूर्वक्षेत्र और खानन संक्रियाओं का उपक्रम करने पर साधारण निर्बंधन

4. पूर्वक्षेत्र या खानन संक्रियाओं का अनुज्ञापत्र या पट्टे के अधीन होना—(1) ³[कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई भूमिक्षेत्र, पूर्वक्षेत्र या खानन संक्रियाएं इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुवत्त, यथास्थिति, भूमिक्षेत्र अनुज्ञापत्र या पूर्वक्षेत्र अनुज्ञापत्र या खानन पट्टे के अधीन तथा उसके निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं]:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उन पूर्वक्षेत्र या खानन संक्रियाओं पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका किसी क्षेत्र में उपक्रम इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुवत्त और ऐसे प्रारम्भ के समय प्रवृत्त पूर्वक्षेत्र अनुज्ञापत्र या खानन पट्टे के निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार किया गया हो:

⁴[परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई भी बात किन्हीं ऐसी पूर्वक्षेत्र संक्रियाओं को लागू नहीं होगी जो भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के परमाणु उर्जा विभाग के ⁵[खोज और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय] किसी भी राज्य सरकार के खानन और भू-विज्ञान निदेशालयों (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों) तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थ में सरकारी कंपनी है, की जाती हैं:]

⁵[परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई बात, गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी खानन पट्टा को (चाहे उसका नाम खानन पट्टा, खानन रियायत या कोई अन्य हो) लागू नहीं होगी।]

⁶[(1क) कोई व्यक्ति इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन ही किसी खनिज का परिवहन या भंडार करेगा या परिवहन या भंडार करवाएगा, अन्यथा नहीं]:

(2) ³[कोई भूमिक्षेत्र अनुज्ञापत्र पूर्वक्षेत्र अनुज्ञापत्र या खानन पट्टा] इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार ही अनुवत्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

⁴[(3) कोई भी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से पूर्व परामर्श करने के पश्चात् और धारा 18 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, ³[उस राज्य सरकार के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जो किसी भूमिक्षेत्र अनुज्ञापत्र पूर्वक्षेत्र अनुज्ञापत्र या खानन पट्टे के अधीन पहले ही धृत नहीं है, किन्हीं ऐसे खनिजों की भावत, जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, भूमिक्षेत्र, पूर्वक्षेत्र या खानन संक्रियाएं कर सकेगी।]

⁷[4क. पूर्वक्षेत्र अनुज्ञापत्रों या खानन पट्टों की समाप्ति—(1) जहां केन्द्रीय सरकार की, राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि खानों के विनियमन और खनिज विकास, प्राकृतिक पर्यावरण के परिरक्षण, बाढ़ के नियंत्रण, प्रदूषण के निवारण के हित में अथवा लोक स्वास्थ्य या संचार के प्रति खतरे से बचने के लिए अथवा भवनों, स्मारकों या अन्य संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथवा खनिज स्रोतों के संरक्षण के लिए अथवा खानों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार उचित समझे, ऐसा करना समीचीन है तो वह राज्य सरकार से अनुरोध कर सकेगी कि वह किसी क्षेत्र या उसके भाग में गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज से संबंधित पूर्वक्षेत्र अनुज्ञापत्र या खानन पट्टे की समयपूर्व

1. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 4 द्वारा "उत्तर" शब्द का लोप किया गया।

2. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

3. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 5 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 2 द्वारा (10-2-1987 से) अंतःस्थापित।

5. 1987 के अधिनियम सं० 16 की धारा 14 द्वारा (1-10-1963 से) अंतःस्थापित।

6. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

7. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 3 द्वारा (10-2-1987 से) धारा 4क के स्थान पर प्रतिस्थापित।

समाप्त कर दे, और ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर राज्य सरकार ऐसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की, उस क्षेत्र या उसके किसी भाग की बाबत, समयपूर्व समाप्ति करने वाला आदेश देगी।

(2) जहां राज्य सरकार की, ^{1*} * * यह राय है कि खानों के विनियमन और खनिज विकास, प्राकृतिक पर्यावरण के परिरक्षण, बाढ़ के नियंत्रण, प्रदूषण के नियंत्रण के हित में अथवा लोक स्वास्थ्य या संचार के प्रति खतरे से बचने के लिए अथवा मत्तों, स्मारकों या अन्य संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथवा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए जो राज्य सरकार उचित समझे ऐसा करना समीचीन है तो वह आदेश द्वारा, किसी गौण खनिज के संबंध में ऐसी अनुज्ञप्ति या पट्टे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र या उसके किसी भाग की बाबत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की समयपूर्व समाप्ति कर सकेगी :

2* * *
(3) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, या खनन पट्टे की समयपूर्व समाप्ति करने वाला कोई भी आदेश, अनुज्ञप्ति या पट्टे के धारक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(4) जहां किसी खनन पट्टे का धारक पट्टे के निष्पादन की तारीख के पश्चात्, ³[दो वर्ष] की अवधि तक खनन संक्रियाएं करने में असफल रहता है अथवा खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने के पश्चात् उसने ³[दो वर्ष] या उससे अधिक की अवधि के लिए उन्हें बन्द कर दिया है, वहां पट्टा, यथास्थिति, पट्टे के निष्पादन अथवा खनन संक्रियाओं के बन्द किए जाने की तारीख से ³[दो वर्ष] की अवधि के अवसान पर व्यपगत हो जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसे पट्टे के धारक द्वारा, इस उपधारा के अधीन पट्टे के अवसान के पहले किए गए आवेदन पर और अपना यह समाधान होने पर कि पट्टे के धारक के लिए, ऐसे कारणों से जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है, खनन संक्रियाओं का करना या ऐसी संक्रियाओं का जारी रखना संभव नहीं होगा, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाएं, इस आशय का आदेश कर सकेगी कि ऐसा पट्टा व्यपगत नहीं होगा :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार पट्टे के धारक द्वारा आवेदन किए जाने पर, जो पट्टे के व्यपगत होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो, और अपना यह समाधान होने पर कि ऐसे प्रारम्भ न किया जाना या बन्द किया जाना ऐसे कारणों से हुआ है जिन पर पट्टे के धारक का नियंत्रण नहीं था, पट्टे को ऐसी भविष्यलक्षी या भूतलक्षी तारीख से, जिसे वह ठीक समझे, किन्तु जो पट्टे के व्यपगत होने की तारीख से पूर्वतर न हो, पुनः प्रवर्तित कर सकेगी :

परन्तु यह भी कि दूसरे परन्तुक के अधीन कोई भी पट्टा, पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के दौरान, दो से अधिक दौर पुनःप्रवर्तित नहीं किया जाएगा।]

⁴[5. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अनुदान पर निर्बन्धन—⁵[(1) कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति को कोई ⁶[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] तभी अनुदत्त करेगी जब ऐसा व्यक्ति,—

(क) भारतीय राष्ट्रिक है या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) में परिभाषित कोई कंपनी है; और

(ख) ऐसी शर्तें पूरी करता है जो विहित की जाएं :

परन्तु प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज की बाबत कोई ⁶[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही अनुदत्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक,—

(क) किसी फर्म या अन्य व्यक्ति-संगम की दशा में, केवल तब समझा जाएगा जब फर्म के सभी सदस्य या संगम के सभी सदस्य भारत के नागरिक हैं; और

(ख) किसी व्यक्ति की दशा में, केवल तब समझा जाएगा जब वह भारत का नागरिक है।]

(2) राज्य सरकार द्वारा कोई खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि—

⁷[(क) यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि जिस क्षेत्र के लिए पट्टे के लिए आवेदन किया गया है उसका पहले पूर्वेक्षण किया जा चुका है तथा उसमें खनिज पदार्थों का होना ऐसे क्षेत्र के पूर्वेक्षण के माध्यम से अन्यथा सिद्ध कर दिया गया है; और

1. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा (25-1-1994 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया।

2. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 6 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।

3. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा (25-1-1994 से) "एक वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 4 द्वारा (10-2-1987 से) धारा 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 3 द्वारा (25-1-1994 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 7 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 7 द्वारा खंड (क) और (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ख) संबंधित क्षेत्र के खनिज भंडार के विकास के लिए खानों के ऐसे प्रवर्ग की बाबत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित कोई खनन योजना है।।

6. वह अधिकतम क्षेत्र जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा—¹[(1) कोई व्यक्ति किसी खनिज या सहकारी खनिजों के विहित समूह के बारे में ²*** किसी राज्य में]

(क) एक या अधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां ऐसे क्षेत्र के लिए अर्जित नहीं करेगा जिसका कुल क्षेत्रफल पच्चीस वर्ग किलोमीटर से अधिक है; अथवा

³[(कक) एक या अधिक भूमीक्षण अनुज्ञापत्र ऐसे क्षेत्र के लिए अर्जित नहीं करेगा जिसका कुल क्षेत्रफल दस हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक है;

परंतु एकल भूमीक्षण अनुज्ञापत्र के अधीन अनुदत्त क्षेत्रफल पांच हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं होगा; या]

(ख) एक या अधिक खनन पट्टे ऐसे क्षेत्र के लिए अर्जित नहीं करेगा जिसका कुल क्षेत्रफल दस वर्ग किलोमीटर से अधिक है:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी खनिज के विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी व्यक्ति को एक या अधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां या खनन पट्टे ऐसे क्षेत्र के लिए अर्जित करने की अनुज्ञा दे सकती है जिसका कुल क्षेत्रफल पूर्वोक्त क्षेत्रफल से अधिक है;

⁴[(ग) कोई भूमीक्षण अनुज्ञापत्र खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में अर्जित नहीं करेगा जो संहत या संलग्न न हो:

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय है कि किसी खनिज के विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी व्यक्ति को कोई भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा किसी ऐसे क्षेत्र के बारे में अर्जित करने की अनुज्ञा दे सकती है जो संहत या संलग्न न हो।।

(2) ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा या उसके नाम से कोई ऐसी ⁵[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] जो स्वयं उसके लिए आशयित है, अर्जित करता है इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसे वह स्वयं अर्जित करता है।

⁶[(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कुल क्षेत्रफल अवधारित करने के प्रयोजनार्थ, वह क्षेत्र जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी, कम्पनी या अन्य निगम अथवा अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्य के रूप में अथवा किसी फर्म के भागीदार के रूप में, किसी ⁵[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे] के अधीन धारित है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्षेत्र से घटा दिया जाएगा जिससे ऐसे व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसे सदस्य या भागीदार के रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप में, किसी ⁵[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे] के अधीन धारित कुल क्षेत्र किसी भी दशा में उस कुल क्षेत्र से अधिक न हो जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है।।

⁷[7. वह अवधि जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां अनुदत्त या नवीकृत की जा सकेंगी—(1) वह अवधि जिसके लिए ⁸[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति] अनुदत्त की जा सकेगी तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी को पूर्वेक्षण संक्रियाएं पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए दीर्घतर अवधि अपेक्षित है तो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति ऐसी अवधि या अवधियों के लिए नवीकृत की जा सकेगी जो उक्त सरकार विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु यह कि वह कुल अवधि, जिसके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है, पांच वर्ष से अधिक की न हो:

परन्तु यह और कि प्रथम अनुसूची ⁸[के भाग क और भाग ख में सम्मिलित किसी खनिज] के बारे में अनुदत्त किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का नवीकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।।

1. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 3 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 5 द्वारा (10-2-1987 से) "किसी एक राज्य में" शब्दों का विलोपन किया गया।

3. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित।

4. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 8 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 8 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

7. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 4 द्वारा (25-1-1994 से) धारा 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

8. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 9 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

8. वे कालावधियाँ जिनके लिए खनन पट्टे अनुदत्त या नवीकृत किए जा सकेंगे—¹[(1) वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा, तीस वर्ष से अधिक की नहीं होगी :

परन्तु वह न्यूनतम अवधि, जिसके लिए कोई ऐसा खनन पट्टा अनुदत्त किया जा सकेगा, बीस वर्ष से कम की नहीं होगी ।]

(2) खनन पट्टा ³[ऐसी अवधि के लिए, जो बीस वर्ष से अधिक की नहीं होगी] नवीकृत किया जा सकेगा :

⁴[*

*]

⁵[(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो, वह ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे ऐसे खनिजों की बाबत जो प्रथम अनुसूची के भाग क और ख में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, खनन पट्टे का ऐसी अतिरिक्त कालावधि या कालावधियों के लिए नवीकरण प्राधिकृत कर सकेगी जो प्रत्येक दशा में बीस वर्ष से अधिक की नहीं होगी ।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिज की बाबत अनुदत्त किसी खनन पट्टे का, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के सिवाय, नवीकरण नहीं किया जाएगा ।]

9. खनन पट्टों के बारे में स्वामिस्य—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुदत्त खनन पट्टे का धारक, पट्टाकृत क्षेत्र से ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् ⁶[अपने द्वारा अथवा अपने अभिकर्ता, प्रबन्धक, कर्मचारी, ठेकेदार अथवा शिकमी पट्टेदार द्वारा हटाए गए अथवा उपयोग में लाए गए किसी भी खनिज] के बारे में स्वामिस्य, पट्टे की लिखत में या ऐसे प्रारम्भ के समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, द्वितीय अनुसूची में उस खनिज के बारे में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से देगा ।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या तत्पश्चात् अनुदत्त खनन पट्टे का धारक पट्टाकृत क्षेत्र से ⁶[अपने द्वारा अथवा अपने अभिकर्ता, प्रबन्धक, कर्मचारी, ठेकेदार अथवा शिकमी पट्टेदार द्वारा हटाए गए अथवा उपयोग में लाए गए किसी भी खनिज] के बारे में स्वामिस्य द्वितीय अनुसूची में उस खनिज के बारे में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से देगा ।

⁷[(2क) किसी खनन पट्टे का धारक, चाहे वह पट्टा, खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पूर्व दिया गया हो या पश्चात्, किसी ऐसे कोयले के बारे में किसी स्वामिस्य का देनदार नहीं होगा जिसका उपयोग किसी कोयला खान में लगे हुए किसी कर्मकार द्वारा किया गया है परन्तु यह तब जब कि कर्मकार द्वारा ऐसा उपयोग प्रतिमास एक-बटा-तीन टन से अधिक न हो ।]

(3) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि उस दर में, जिसके अनुसार किसी खनिज के बारे में स्वामिस्य संदेय होगा, उस तारीख से वृद्धि या कमी हो जाए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो :

⁸[परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी खनिज के बारे में स्वामिस्य की दर में वृद्धि ⁹[तीन वर्ष] की कालावधि में, एक से अधिक बार नहीं करेगी ।]

¹⁰[9क. अनिवार्य भाटक पट्टेदार द्वारा संदत्त किया जाना—(1) किसी खनन पट्टे का धारक, चाहे वह पट्टा, खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पूर्व दिया गया हो या पश्चात्, पट्टे की लिखत में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रतिवर्ष राज्य सरकार को, पट्टे की लिखत में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के लिए, ऐसी दर से, जो तत्समय तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो, अनिवार्य भाटक संदत्त करेगा :

परन्तु जहाँ ऐसे खनन पट्टे का धारक अपने द्वारा या अपने अभिकर्ता, प्रबन्धक, कर्मचारी, ठेकेदार अथवा शिकमी पट्टेदार द्वारा पट्टे वाले क्षेत्र से हटाए गए अथवा उपयोग में लाए गए किसी खनिज के लिए धारा 9 के अधीन स्वामिस्य का देनदार हो जाता

1. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 7 द्वारा (10-2-1987 से) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 5 द्वारा (25-1-1994 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 5 द्वारा (25-1-1994 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 10 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया ।

5. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 10 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 4 द्वारा "अपने द्वारा हटाए गए किसी भी खनिज" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

8. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 4 द्वारा परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

9. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 8 द्वारा (10-2-1987 से) "चार वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

10. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

है, वहाँ वह या तो ऐसे स्वामित्व का अथवा उस क्षेत्र के बारे में अनिवार्य भाटक का, इनमें से जो भी अधिक हो, उसका देनदार होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, उस दर में, जिससे किसी खनन पट्टे के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के बारे में, अनिवार्य भाटक संदेय होगा, वृद्धि अथवा कमी करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तृतीय अनुसूची को संशोधित कर सकती है और ऐसी वृद्धि या कमी उस तारीख से प्रभावी होगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए:

परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी क्षेत्र के बारे में अनिवार्य भाटक की दर में वृद्धि, ¹[तीन वर्ष] की कालावधि में, एक से अधिक बार नहीं करेगी।]

उस भूमि के बारे में जिसके खनिज सरकार में निहित हैं, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां या खनन पट्टे अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया

10. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के लिए आवेदन—(1) उस भूमि के बारे में, जिसके खनिज सरकार में निहित हों, ²[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे] के लिए आवेदन संबद्ध राज्य सरकार को विहित प्ररूप में किया जाएगा और वह विहित फीस के सहित होगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हो, वहाँ उसकी प्राप्ति की अभिव्यक्ति आवेदक को विहित समय के भीतर और विहित प्ररूप में भेजी जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर राज्य सरकार इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ²[अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टा] अनुदत्त कर सकेगी या अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगी।

³[11. कतिपय व्यक्तियों का अधिमानी अधिकार—(1) जहाँ किसी भूमि के बारे में कोई भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई हो वहाँ उस अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी को उस भूमि के बारे में यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अभिप्राप्त करने का किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिमानी अधिकार होगा:

परन्तु यह तब जब राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसी भूमि में खनिजसाधनों का होना सिद्ध करने के लिए यथास्थिति, भूमीक्षण संक्रियाएं या पूर्वेक्षण संक्रियाएं की हैं;

(ख) यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी ने भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का कोई भंग नहीं किया है;

(ग) यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के उपबंधों को अधीन अपात्र नहीं हुआ है; और

(घ) यथास्थिति, अनुज्ञापत्रधारी या अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अवसान के पश्चात् तीन माह के भीतर या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भतर जो उक्त सरकार द्वारा बढ़ाई जाए, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की अनुज्ञा के लिए आवेदन करने में असफल नहीं हुआ है।

(2) जहाँ राज्य सरकार ने उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए राजपत्र में क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया है और दो या अधिक व्यक्तियों ने ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि की बाबत भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अथवा खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है वहाँ, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए उस आवेदक को, जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ हो, उस आवेदक की अपेक्षा जिसका आवेदन बाद में प्राप्त हुआ हो, अधिमानी अधिकार होगा:

परन्तु जहाँ कोई क्षेत्र, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त किए जाने के लिए अपलब्ध है और राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टे अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन आमंत्रित

1. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 9 द्वारा (10-2-1987 से) "चार वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 11 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 12 द्वारा धारा 11 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

किए हैं, वहाँ ऐसे क्षेत्र के भीतर ऐसी भूमियों की बाबत ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों और ऐसे आवेदनों के बारे में, जो ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व प्राप्त हुए थे और जिनका निपटारा नहीं किया गया था, यह समझा जाएगा कि वे इस उपधारा के अधीन पूर्विकता समनुदेशित करने के प्रयोजनों के लिए एक ही दिन प्राप्त हुए हैं।

परन्तु यह और कि जहाँ ऐसे आवेदन एक ही दिन प्राप्त हुए हों, वहाँ राज्य सरकार, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात्, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा आवेदकों में से ऐसे एक आवेदक को अनुदत्त कर सकेगी जिसे वह उपयुक्त समझे।

(3) उपधारा (2) में 'निर्दिष्ट बातें' निम्नलिखित हैं :—

(क) आवेदक का, यथास्थिति, भूमीक्षण संक्रियाओं, पूर्वक्षेत्र संक्रियाओं या खनन संक्रियाओं का कोई विशेष ज्ञान या अनुभव ;

(ख) आवेदक के वित्तीय संसाधन ;

(ग) आवेदक द्वारा नियोजित या नियोजित किए जाने वाले तकनीकी कर्मचारियों का स्वरूप और क्वालिटी ;

(घ) वह विनिर्धान जिसे आवेदक खानों में और खनिजों पर आधारित उद्योग में करने का प्रस्ताव करता है;

(ङ) अन्य ऐसी बातें जो विहित की जाएं।

(4) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहाँ राज्य सरकार, यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुदत्त किए जाने के लिए कोई क्षेत्र राजपत्र में अधिसूचित करती है, वहाँ ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, जो तीस दिन से कम की नहीं होगी, प्राप्त सभी आवेदनों पर एक साथ ऐसे विचार किया जाएगा मानो ऐसे सभी आवेदन एक ही दिन प्राप्त हुए हों और राज्य सरकार उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात् यथास्थिति, भूमीक्षण, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा आवेदकों में से ऐसे एक आवेदक को अनुदत्त कर सकेगी जिसे वह उपयुक्त समझे।

(5) राज्य सरकार उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किन्हीं ऐसे विशेष कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसे किसी आवेदक को, जिसका आवेदन बाद में प्राप्त हुआ था, ऐसे आवेदक पर जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमान देकर यथास्थिति, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत्त कर सकेगी।

परन्तु प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों की बाबत इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा।]

12. पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों के रजिस्टर—(1) राज्य सरकार—

(क) पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्तियों के आवेदनों का एक रजिस्टर ;

(ख) पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्तियों का एक रजिस्टर ;

¹[(ग) खनन पट्टों के लिए आवेदनों का एक रजिस्टर ;

(घ) खनन पट्टेदारों का एक रजिस्टर ;

(ङ) भूमीक्षण परमिटों के लिए आवेदनों का एक रजिस्टर; और

(च) भूमीक्षण अनुज्ञापत्रों का एक रजिस्टर]।

विहित प्रारूप में रखवाएगी, जिनमें से प्रत्येक में ऐसी विशिष्टियाँ प्रविष्ट की जाएंगी, जैसी विहित की जाएं।

1. 1999 के अधिनियम सं. 38 की धारा 13 द्वारा खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) ऐसा प्रत्येक रजिस्टर इतनी फीस के संदाय पर, जितनी राज्य सरकार नियत करे, किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों का अनुदान विनियमित करने के लिए नियम

13. खनिजों के बारे में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार खनिजों के बारे में ¹[भूमीक्षण अनुज्ञापत्रों, पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों] का अनुदान विनियमित करने के लिए और उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह व्यक्ति जिसके द्वारा और वह रीति जिससे उस भूमि के बारे में, जिसके खनिज सरकार में निहित हों, ¹[भूमीक्षण अनुज्ञापत्रों, पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों] के लिए आवेदन दिए जा सकेंगे और वे फीस जो उनके लिए दी जानी हैं ;

(ख) वह समय जिसके भीतर और वह प्ररूप जिसमें ऐसे आवेदन की प्राप्ति की अभिव्यक्ति भेजी जा सकेगी ;

(ग) वे बातें जिन पर, जब एक ही दिन एक ही भूमि के बारे में अनेक आवेदन प्राप्त हुए हों, विचार किया जाएगा ;

2*

*

*

(ङ) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा उस भूमि के बारे में, जिसके खनिज सरकार में निहित हों, ¹[भूमीक्षण अनुज्ञापत्रों, पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों] अनुदत्त किए जा सकेंगे ;

(च) किसी ऐसी भूमि के बारे में, जिसके खनिज सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति में निहित हों, ¹[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और वे निबंधन जिन पर और वे शर्तें जिनके अधीन, ¹[ऐसा अनुज्ञापत्र ऐसी अनुज्ञप्ति या ऐसा पट्टा] अनुदत्त या नवीकृत किया जा सकेगा ;

(छ) वे निबंधन जिन पर, और वे शर्तें, जिनके अधीन कोई अन्य ¹[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] अनुदत्त या नवीकृत किया जा सकेगा ;

(ज) वे सुविधाएं जो खनन संक्रिया संबंधी बातों में गवेषणा करने या प्रशिक्षण पाने के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को खनन पट्टों के धारकों द्वारा दी जानी हैं ;

³[(झ) ¹[भूमीक्षण अनुज्ञापत्रों, पूर्वक्षेत्र अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों] के लिए फीस, भूमि, माटक, प्रतिभूति निक्षेप, जुर्माना, अन्य फीस या प्रभार नियत करना और उनका संग्रहण करना तथा वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिससे अनिवार्य माटक या स्वामित्व संदेय होगा ;]

(ञ) वह रीति जिससे पर व्यक्तियों के हितों की संरक्षा (प्रतिकर के संदाय द्वारा या अन्यथा) उन मामलों में, जिनमें किसी ¹[भूमीक्षण, पूर्वक्षेत्र या खनन संक्रिया] के कारण ऐसे किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, की जा सकेगी ;

(ट) धारा 6 के प्रयोजनों के लिए सहकारी खनिजों का समूहन ;

1. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 14 द्वारा कल्पित शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 11 द्वारा (10-2-1987 से) खंड (घ) का लोप किया गया।

3. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 11 द्वारा (10-2-1987 से) खण्ड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(ठ) वह रीति जिससे और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए ¹[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] अंतरित किया जा सकेगा :

(ड) सड़कों, विद्युत पारंपण लाइनों, टाममार्गों, रेलमार्गों, आकाशी रज्जुमार्गों, जलमार्गों का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग तथा खनन पट्टे में समाविष्ट किसी भूमि पर खनन के प्रयोजनार्थ जल के लिए मार्ग बनाना ;

(ढ) उन रजिस्ट्रारों के प्रहृप जो इस अधिनियम के अधीन रखे जाने हैं ;

2*

(त) वे रिपोर्टें और विवरण जो ¹[भूमीक्षण अनुज्ञापत्रों या पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों] के धारकों या खानों के स्वामियों द्वारा दिए जाने हैं और वे प्राधिकारी जिन्हें ऐसी रिपोर्टें और विवरण दिए जाएंगे :

(थ) वह कालावधि जिसके भीतर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन किए जा सकेंगे ³[उनके लिए दी जाने वाली फीस और वे दस्तावेज जो ऐसे आवेदनों के साथ लगाई जाएंगी] और वह रीति जिससे ऐसे आवेदन निपटाए जाएंगे ; तथा

⁴[(यथ) वह रीति जिससे पेड़, पौधों और वनस्पति की, जैसे कि वृक्ष, झाड़ियाँ और वैसी ही चीजें, जो किन्हीं पूर्वक्षण या खनन संक्रियाओं के कारण तष्ट हो गई हों, उसी क्षेत्र में या किसी अन्य ऐसे क्षेत्र में, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा (पुनर्स्थापन के स्वर्थ की प्रतिपूर्ति के रूप में या अन्यथा) चयन किया गया हो, पुनर्स्थापन पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।];

(द) कोई अन्य बात जो इस अधिनियम के अधीन विहित की जानी है या की जाए ।

⁵[13क. भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र अथवा कान्टिनेन्टल शेल्फ के बारे में पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियाँ अथवा खनन पट्टे प्रदान करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र और कान्टिनेन्टल शेल्फ के अन्तर्गत सागर के नीचे किन्हीं खनिजों के बारे में पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियाँ अथवा खनन पट्टे प्रदान करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वे शर्तें, सीमाएँ और निर्बन्धन जिनके अधीन ऐसी पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियाँ या खनन पट्टे प्रदान किए जा सकते हैं ;

(ख) भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र या कान्टिनेन्टल शेल्फ के अन्दर खनिजों की खोज अथवा उनके विदोहन का विनियमन ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि ऐसी खोज अथवा ऐसे विदोहन से नौपरिवहन में कोई हस्तक्षेप न हो ; और

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए ।]

14. धारा 5 से धारा 13 तक का गौण खनिजों को लागू न होना—धारा ⁶[5 से धारा 13 तक] के (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएँ भी हैं) उपबन्ध ⁷[गौण खनिजों के बारे में] खदान पट्टों, खनन पट्टों अथवा अन्य खनिज रियायतों को लागू नहीं होंगे ।

1. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 14 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 11 द्वारा (10-2-1987 से) स्रष्ट (ग) का लोप किया गया ।

3. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 11 द्वारा (10-2-1987 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 11 द्वारा (10-2-1987 से) अंतःस्थापित ।

5. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित ।

6. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 12 द्वारा (10-2-1987 से) "धारा 4 से 13" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

7. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 7 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

15. गौण खनिजों के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार ¹[गौण खनिजों के बारे में खदान पट्टों, खनन पट्टों अथवा अन्य खनिज रियायतों] का अनुदान विनियमित करने के लिए और तत्संबद्ध प्रयोजनों के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

²[(क) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह व्यक्ति जिसके द्वारा और वह रीति जिससे खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे और उनके लिए दी जाने वाली फीसें;

(ख) वह समय जिसके भीतर और वह प्ररूप जिसमें ऐसे किन्हीं आवेदनों की प्राप्ति की अमिस्वीकृति भेजी जा सकेगी;

(ग) जहाँ एक ही भूमि की बाबत आवेदन एक ही दिन प्राप्त होते हैं वहाँ वे विषय जिन पर विचार किया जा सकेगा;

(घ) वे निबंधन जिन पर और वे शर्तें जिनके अधीन और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा खदान पट्टे, खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायतें अनुदत्त या नवीकृत की जा सकेंगी;

(ङ) खदान पट्टे, खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायतें अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया;

(च) वे सुविधाएँ जो खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के धारकों द्वारा उन व्यक्तियों को दी जाएँगी, जिन्हें सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से संबंधित विषयों में अनुसंधान या प्रशिक्षण लेने के प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है;

(छ) भाटक, स्वामित्व, फीस, अनिवार्य भाटक, जुमनि और अन्य प्रभार नियत करना और उनका संग्रहण करना, तथा वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिसमें वे संदेय होंगे;

(ज) वह रीति जिससे पर-व्यक्तियों के अधिकारों की (प्रतिकर के संदाय के रूप से या अन्यथा) उन दशाओं में जिनमें किन्हीं पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के कारण ऐसे किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, संरक्षा की जा सकेगी;

(झ) वह रीति जिससे पेड़-पौधों और अन्य वनस्पति, जैसे कि वृक्षों, झाड़ियों और ऐसी ही चीजों का, जो किसी खदान क्रिया या खनन संक्रियाओं के कारण नष्ट हो गई हों, उसी क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में जिसका राज्य सरकार द्वारा (पुनःस्थापन के स्वर्ण की प्रतिपूर्ति के रूप में या अन्यथा) चयन किया गया हो पुनर्स्थापन खदान क्रिया या खनन पट्टा धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा;

(ञ) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन कोई खदान पट्टा या खनन पट्टा या अन्य खनिज रियायत अंतरित की जा सकेगी;

(ट) किसी ऐसी भूमि पर, जो किसी खदान या खनन पट्टे या अन्य खनिज रियायत में समाविष्ट है, खनन के प्रयोजनों के लिए सड़कों, बिजली पारेषण लाइनों, टाम-पथों, रेलपथों, आकाशी रज्जु मार्गों, पाइप लाइनों का सन्निर्माण, अनुरक्षण और उपयोग तथा जल मार्ग का बनाया जाना;

(ठ) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले रजिस्ट्रारों का प्ररूप;

(ड) वे रिपोर्टें और विवरण जो खदान या खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के धारकों द्वारा प्रस्तुत किए जाएँगे और वह प्राधिकारी जिसको ऐसी रिपोर्टें और विवरण प्रस्तुत किए जाएँगे;

(ड) वह कालावधि जिसके भीतर और वह रीति जिससे और वह प्राधिकारी जिसको इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, उनके लिए दी जाने वाली फीस, तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियाँ; और

(ण) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।]

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन नियम न बना दिए जाएँ तब तक ¹[गौण खनिजों के बारे में खदान-पट्टों, खनन पट्टों अथवा अन्य खनिज रियायतों] का अनुदान विनियमित करने के लिए जो नियम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हों और इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले प्रवृत्त हों, वे प्रवृत्त बने रहेंगे।

1. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 8 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 13 द्वारा (10-2-1987 से) अंतःस्थापित।

¹[(3) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दिए गए किसी खनन पट्टेदार अथवा किसी अन्य खनिज रियायत का धारक अपने द्वारा या अपने अधिकर्ता, प्रबन्धक, कर्मचारी, ठेकेदार अथवा शिकमी पट्टेदार द्वारा हटाए गए या उपयोग में लाए गए, गौण खनिजों के बारे में ²[स्वामिस्व या अनिवार्य भाटक, इसमें से जो भी अधिक हो], राज्य सरकार द्वारा गौण खनिजों के बारे में बनाए गए नियमों में तत्समय विहित दर से देगा :

परन्तु राज्य सरकार किसी गौण खनिज के बारे में ²[स्वामिस्व या अनिवार्य भाटक] की दर में वृद्धि, ³[तीन] वर्ष की किसी कालावधि में, एक से अधिक बार नहीं करेगी ।

16. 25 अक्टूबर, 1949 के पूर्व अनुदत्त खनन पट्टों में उपांतरण करने की शक्ति—⁴[(1) (क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारंभ के पूर्व दिए गए सभी खनन पट्टे ⁵[यदि खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त हैं, तो खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष के भीतर] या इतने अतिरिक्त समय के भीतर जितना केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप बना लिए जाएंगे।

(ख) जहां किसी सम्पदा या भू-धृति के स्वत्वधारी द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारंभ के पूर्व दिए गए किसी खनन पट्टे के अधीन अधिकार, किसी प्रान्तीय या राज्य विधान-मंडल के किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में, जो सम्पदाओं या भू-धृतियों के अर्जन का उपबन्ध करता है या भूमि सम्बन्धी सुधार का उपबन्ध करता है, 25 अक्टूबर, 1949 को या उसके पश्चात् राज्य सरकार में निहित हो गए हैं वहां ऐसा खनन पट्टा, ⁵[खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1994 के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर] अथवा इतने अतिरिक्त समय के भीतर जितना केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप बना लिया जाएगा ।]

⁶[(1क) जहां किसी पट्टे की अवधि को इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिए उपधारा (1) के खण्ड (क) या खंड (ख) के अधीन कोई कार्रवाई की जाती है वहां, धारा 8 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पट्टे की अवधि, ऐसे पट्टे को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप बनाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, प्रवर्तन में रहेगी ।]

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी और ऐसे नियम विशिष्टतः निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करेंगे :—

(क) पट्टेदार को, और जहां पट्टाकर्ता केन्द्रीय सरकार न हो वहां पट्टाकर्ता को भी, ऐसे उपांतरण या परिवर्तन की, जो किसी विद्यमान खनन पट्टे में करने की प्रस्थापना हो, पूर्व सूचना देना और प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उसे अवसर देना;

(ख) विद्यमान खनन पट्टे के किसी क्षेत्र के घटाए जाने के बारे में पट्टेदार को प्रतिकर देना ; तथा

(ग) ये सिद्धांत जिन पर, वह रीति जिससे और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा उक्त प्रतिकर अवधारित किया जाएगा ।

कतिपय मामलों में पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने की केन्द्रीय सरकार की विशेष शक्तियां

17. कुछ भूमियों में पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का उपक्रम करने की केन्द्रीय सरकार की विशेष शक्तियां—(1) इस धारा के उपबंध ⁷*** उस भूमि के बारे में लागू होंगे जिसके खनिज राज्य सरकार ⁸[या किसी अन्य व्यक्ति] में निहित हों ।

1. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 8 द्वारा (भूतलही रूप से) अंतःस्थापित ।
2. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 13 द्वारा (10-2-1987 से) "स्वामिस्व" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 13 द्वारा (10-2-1987 से) "चार वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 9 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
5. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 6 द्वारा (25-1-1994 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 6 द्वारा (25-1-1994 से) अंतःस्थापित ।
7. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 10 द्वारा "केवल" शब्द का लोप किया गया ।
8. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् किसी ऐसे क्षेत्र में ¹[भूमीक्षण, पूर्वक्षण या खनन संक्रियाओं] का उपक्रम कर सकेगी जो किसी ¹[भूमीक्षण, अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे] के अधीन पहले से धारित न हो, और जहाँ ऐसा करने का उसका विचार हो वहाँ वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं को विनिर्दिष्ट करेगी;

(ख) इस बात का कथन करेगी कि उस क्षेत्र में पूर्वक्षण संक्रियाएँ चलाई जाएंगी या खनन संक्रियाएँ; तथा

(ग) ऐसे खनिज या खनिजों को विनिर्दिष्ट करेगी जिनके बारे में ऐसी संक्रियाएँ चलाई जाएंगी।

(3) जहाँ केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के किसी क्षेत्र में ¹[भूमीक्षण, पूर्वक्षण या खनन संक्रियाओं] का उपक्रम करे वहाँ केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, ¹[भूमीक्षण, अनुज्ञापत्र फीस या पूर्वक्षण फीस] स्वामित्व, भू-भाटक या अनिवार्य भाटक का संदाय उसी दर से करने के दायित्व के अधीन होगी जिससे वह इस अधिनियम के अधीन इस वशा में संदेय होता जब ¹[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे] के अधीन ऐसी ¹[भूमीक्षण, पूर्वक्षण या खनन संक्रियाओं] का उपक्रम किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा किया गया होता।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने को समर्थ बनाने की दृष्टि से, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात्, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि के बारे में कोई भी ¹[भूमीक्षण, अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

²[17क. संरक्षण के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र का आरक्षण—(1) केन्द्रीय सरकार, किसी खनिज का संरक्षण करने की दृष्टि से और राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् किसी ऐसे क्षेत्र को जो किसी पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन पहले से धृत नहीं है आरक्षित कर सकेगी तथा जहाँ उसकी ऐसा करने की प्रस्थापना हो, वहाँ वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की सीमाएँ और वह या वे खनिज जिनके संबंध में ऐसा क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करेगी।

³[(1क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, किसी ऐसे क्षेत्र को, जो किसी पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन पहले से धृत नहीं है, किसी सरकारी कंपनी या ऐसे निगम के जो इसके स्वामित्व या नियंत्रण में है, माध्यम से पूर्वक्षण या खनन संक्रियाएँ करने के लिए आरक्षित कर सकेगी और जहाँ उसकी ऐसा करने की प्रस्थापना हो वहाँ वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की सीमाएँ और वह खनिज या वे खनिज, जिनके संबंध में ऐसा क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा विनिर्दिष्ट करेगी।]

(2) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, किसी ऐसे क्षेत्र को, जो किसी पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन पहले से धृत नहीं है, किसी सरकारी कंपनी या ऐसे निगम के ⁴[जो उसके स्वामित्व या नियंत्रण में है,] माध्यम से, पूर्वक्षण या खनन संक्रियाएँ की जाने के लिए आरक्षित कर सकेगी तथा जहाँ उसकी ऐसा करने की प्रस्थापना है वहाँ वह, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की सीमाएँ और वह या वे खनिज, जिनके संबंध में ऐसे क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे, विनिर्दिष्ट करेगी।

(3) ⁴[जहाँ, उपधारा (1क) या उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार] किसी ऐसे क्षेत्र में, जिनमें खनिज किसी प्राइवेट व्यक्ति में निहित है, पूर्वक्षण या खनन संक्रियाएँ करती है, वहाँ वह समय-समय पर, यथास्थिति, पूर्वक्षण फीस, स्वामित्व, भूमि भाटक या अनिवार्य भाटक का उसी दर से संदाय करने के दायित्वाधीन होगी जिस पर इस अधिनियम के अधीन तब संदेय होता यदि ऐसी पूर्वक्षण या खनन संक्रियाएँ पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की गई होती।]

खनिजों का विकास

18. खनिज विकास—(1) केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सारे उपाय करे, जो ⁵[भारत में खनिजों के संरक्षण और व्यवस्थित विकास के लिए तथा किसी ऐसे प्रदूषण के, जो पूर्वक्षण या खनन संक्रियाओं से उत्पन्न हो, निवारण या नियंत्रण द्वारा पर्यावरण की संरक्षा के लिए] आवश्यक हों, और ⁵[ऐसे प्रयोजनों के लिए] केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे नियम बना सकेगी जैसे वह ठीक समझे।

1. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 15 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 14 द्वारा (10-2-1987 से) संतुष्टःस्थापित।

3. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 7 द्वारा (25-1-1994 से) संतुष्टःस्थापित।

4. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 7 द्वारा (25-1-1994 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 15 द्वारा (10-2-1987 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) किसी क्षेत्र में नई खानें खोलना और खनन संक्रियाओं का विनियमन ;
- (ख) किसी खान के खनिजों के उत्खनन या संग्रहण का विनियमन ;
- (ग) अयस्कों के सज्जीकरण के प्रयोजन के लिए खानों के स्वामियों द्वारा किए जाने वाले उपाय, जिनके अंतर्गत ऐसे प्रयोजन के लिए यथोचित प्रयुक्तियों का उपबंध करना भी है ;
- (घ) किसी क्षेत्र में खनिज-साधनों का विकास ;
- (ङ) समस्त नई बोरिंग और कूपक गलाने की अधिसूचना और बोर-छिद्र अभिलेखों और सब नए बोर-छिद्रों के झोड़ों के नमूनों का परिरक्षण ;
- (च) खनिजों के मण्डारकरण के इंतजाम का विनियमन और उनके स्टॉक जो किसी व्यक्ति द्वारा रखे जा सकेंगे ;
- (छ) किसी खान के खनिजों के सैम्पलों का उसके स्वामी द्वारा भेजा जाना तथा वह रीति जिससे और वह प्राधिकारी जिसे ऐसे सैम्पल भेजे जाएंगे और राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी खान से किन्हीं खनिजों के सैम्पल लिए जाना ; तथा
- (ज) खान के स्वामियों द्वारा ऐसी विशेष या कालिक-विवरणियाँ और रिपोर्टों का भेजा जाना, जैसी विनिर्दिष्ट की जाएँ, तथा वह प्ररूप जिसमें और वह प्राधिकारी जिसे ऐसी विवरणियाँ और रिपोर्टें भेजी जाएंगी ;
- ¹[(झ) पूर्वेक्षण संक्रियाओं का विनियमन ;
- (ञ) पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के पर्यवेक्षण के लिए अर्हताप्राप्त भू-वैज्ञानिकों या खनन इंजीनियरों का नियोजन ;
- (ट) किसी खान में चलाई जाने वाली किन्हीं खनन या धातुकर्मीय संक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट अपर्पक या अपशिष्ट उत्पादों का व्ययन या विसर्जन ;
- (ठ) वह रीति जिससे और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा किसी खान के स्वामियों की खनिजों के संरक्षण या व्यवस्थित विकास के हित में अथवा ऐसे प्रदूषण के, जो पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं से उत्पन्न हो, निवारण या नियंत्रण द्वारा पर्यावरण की संरक्षा के लिए कुछ बात करने या उनके न करने के लिए निर्देश जारी किए जा सकेंगे ;
- (ड) ऐसे रेखाकों, रजिस्ट्रों या अभिलेखों का, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ, रखा जाना और प्रस्तुत किया जाना ;
- (ढ) पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएँ चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा खनन या भू-विज्ञान में उसके द्वारा किए गए किसी अनुसंधान के बारे में अभिलेखों या रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना ;
- (ण) पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएँ चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा उन व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं, खनन या भू-विज्ञान से संबंधित विषयों में अनुसंधान करने या प्रशिक्षण लेने के प्रयोजन के लिए दी जाने वाली सुविधाएँ ;
- (त) इस धारा के अधीन विरचित नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए जुमानों के अधिरोपण की प्रक्रिया और रीति तथा वह प्राधिकारी जो ऐसे जुमाने अधिरोपित कर सकेगा ;
- (थ) वह प्राधिकारी जिसको, वह कालावधि जिसके भीतर, यह प्ररूप और रीति जिसमें इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन किए जा सकेंगे, संकाय की जाने वाली फौस तथा वे दस्तावेजों जो ऐसे आवेदनों के साथ लगाई जानी चाहिए ।]

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम सरकार पर आवद्ध कर होंगे ।

²[18क. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण आदि को अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि किसी

1. 1986 के अधिनियम सं. 37 की धारा 15 द्वारा (10-2-1987 से) अंतःस्थापित ।

2. 1972 के अधिनियम सं. 56 की धारा 11 द्वारा (10-2-1987 से) अंतःस्थापित ।

भूमि में या उसके नीचे, जिसके सम्बन्ध में कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा चाहे राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया है, उपलब्ध किसी खनिज के बारे में यथासम्भव ठीक-ठीक जानकारी एकत्र की जाए तो केन्द्रीय सरकार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को या ऐसे अन्य प्राधिकरण को या अभिकरण को जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसी जानकारी अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, ऐसा विस्तृत अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जो आवश्यक हो:

परन्तु किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के मामलों में ऐसा प्राधिकार राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् ही दिया जाएगा न कि अन्यथा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्राधिकार के जारी किए जाने पर भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण या विनिर्दिष्ट प्राधिकरण या अभिकरण और उसके सेवकों और कर्मचारों के लिए विधिसम्मत होगा कि वे—

- (क) ऐसी भूमि में प्रवेश करें;
- (ख) अवमृदा के भीतर खोदें या भेदन करें;
- (ग) ऐसी भूमि में या उसके नीचे उपलब्ध किसी खनिज के परिमाण को अवधारित करने के लिए आवश्यक अन्य समस्त कार्य करें;
- (घ) उस भूमि की सीमाएं निश्चित करें जिसमें किसी खनिज के मिलने की आशा है;
- (ङ) चिन्ह लगाकर ऐसी सीमाओं और रेखा को चिन्हित करें;
- (च) उस दशा में जब चिन्हित सीमाओं और रेखा के अन्तर्गत सर्वेक्षण अन्यथा पूरा नहीं किया जा सकता, किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल के किसी भाग की कटाई या सफाई करें;

परन्तु ऐसा कोई भी प्राधिकरण या अभिकरण किसी भवन के भीतर या किसी निवास गृह से संलग्न किसी घिरे हुए आंगन या बाग में (उसके अधिभोगी की सहमति के बिना) प्रवेश, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम सात दिन की लिखित सूचना अधिभोगी को पहले दिए बिना, नहीं करेगा।

(3) जब कभी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार की कोई कार्रवाई की जानी है, तब केन्द्रीय सरकार, ऐसी कार्रवाई के किए जाने के पूर्व या उसके किए जाने के समय, उस सब अनिवार्य नुकसान के लिए जिसका होना सम्भाव्य हो, संदाय करेगी या संदाय का निविदान करेगी, और इस प्रकार संदत्त या निविदान की गई रकम की पर्याप्तता के बारे में, अथवा उस व्यक्ति के बारे में, जिसे उसका वे संदाय या निविदान किया जाना चाहिए, विवाद की दशा में, केन्द्रीय सरकार उस विवाद को उस आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को निर्दिष्ट करेगी जिसकी कि प्रश्नगत भूमि पर अधिकारिता है।

(4) यह बात कि ऐसा कोई विवाद विद्यमान है, जैसा उपधारा (3) में निर्दिष्ट है, उपधारा (2) के अधीन किसी कार्रवाई का किया जाना वर्जित नहीं करेगा।

(5) अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण अथवा विनिर्दिष्ट प्राधिकरण या अभिकरण जिसने अन्वेषण किया है, केन्द्रीय सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट देगा जिसमें उस खनिज का जो उस भूमि में या उसके नीचे हो, परिमाण और प्रकार उपदर्शित होगा।

(6) इस धारा के अधीन किए गए अन्वेषण का खर्च केन्द्रीय सरकार वहन करेगी:

परन्तु यदि राज्य सरकार अथवा अन्य व्यक्ति, जिसमें वे खनिज निहित हैं, या किसी पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे का धारक, केन्द्रीय सरकार से आवेदन करता है कि उपधारा (5) के अधीन दी गई रिपोर्ट की एक प्रति उसे दी जाए, वहां, यथास्थिति, वह सरकार या अन्य व्यक्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे का धारक, अन्वेषण के खर्च के इतने उचित भाग का वहन करेगा जितना केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और अन्वेषण के खर्च के ऐसे भाग के संदाय पर, केन्द्रीय सरकार को उपधारा (5) के अधीन दी गई रिपोर्ट की सही प्रति, उससे प्राप्त करने का हकदार होगा।

प्रकीर्ण

19. यदि ¹/भूमिक्षण, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां और खनन पट्टे। इस अधिनियम का उल्लंघन करें तो उनका शून्य होना—इस अधिनियम के उपबंधों के या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों और किए गए किन्हीं आदेशों के उल्लंघन में अनुदत्त, नवीकृत या अर्जित ¹/भूमिक्षण, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा। शून्य होगा और उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

1. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 16 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण—जहाँ किसी व्यक्ति ने ¹*** एक से अधिक ²[भूमिक्षण, अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियाँ या खनन पट्टे] अर्जित किए हों और, यथास्थिति, ³[ऐसे अनुज्ञापत्रों, ऐसी अनुज्ञप्तियों या ऐसे पट्टों] का संकलित क्षेत्रफल धारा 6 के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक हो वहाँ केवल वही ⁴[भूमिक्षण, अनुज्ञापत्र, पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा] शून्य समझा जाएगा जिसके अर्जन के परिणामस्वरूप वह संकलित क्षेत्रफल ऐसे अधिकतम क्षेत्रफल से अधिक हो गया हो।

20. अधिनियम और नियमों का पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों के सभी नवीकरणों को लागू होना—इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुदत्त पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के उस नवीकरण को जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किया जाए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अनुदत्त पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के नवीकरण को लागू होते हैं।

21. शास्तियाँ—³[(1) जो कोई धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (1क) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।]

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाया गया कोई नियम इस बात का उपबन्ध कर सकेगा कि उसका उल्लंघन ⁴[कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा,] या दोनों से, और किसी चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहे, ⁵[पाँच सौ रुपये] तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

⁶[(3) जहाँ कोई व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी भूमि में अतिचार करेगा वहाँ ऐसे अतिचारी पर राज्य सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा वेदखली का आदेश तामील किया जा सकेगा और राज्य सरकार अथवा ऐसा प्राधिकृत प्राधिकरण उस भूमि से अतिचारी को वेदखल करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, पुलिस की सहायता ले सकेगा।]

⁷[(4) जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निकालेगा, उसका परिवहन करेगा या निकलाएगा या उसका परिवहन करवाएगा और उस प्रयोजन के लिए किसी औजार, उपस्कर, यान अथवा किसी अन्य चीज का उपयोग करेगा तो, ऐसा खनिज, औजार, उपस्कर, यान अथवा अन्य चीज किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अमिगृहीत की जा सकेगी जो इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त हो।]

(4क) उपधारा (4) के अधीन अमिगृहीत कोई खनिज, औजार उपस्कर, यान अथवा अन्य चीज उपधारा (1) के अधीन अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम न्यायालय के किसी आदेश द्वारा अधिदत्त की जा सकेगी और उसका ऐसे न्यायालय के निदेशों के अनुसार व्ययन किया जाएगा।]

(5) जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निकालेगा, तब राज्य सरकार इस प्रकार निकाले गए खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज का पहले से ही व्ययन कर दिया गया है, वहाँ उसकी कीमत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगी और उस कालावधि के लिए, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने उस भूमि पर किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना कब्जा कर लिया है, यथास्थिति, भाटक, स्वामिस्व या कर को भी ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकेगी।]

⁷[(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध संज्ञेय होगा।]

22. अपराधों का संज्ञान—कोई न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए लिखित परिचाय पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

23. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

1. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 8 द्वारा (25-1-1994 से) "किसी राज्य में" शब्दों का शेष किया गया।

2. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 16 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 17 द्वारा उपधारा (1) और (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 16 द्वारा (10-2-1987 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 16 द्वारा (10-2-1987 से) "एक सौ रुपये" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।

7. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 16 द्वारा (10-2-1987 से) अंतःस्थापित।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया हो वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है;

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

¹[23क. अपराधों का प्रशमन—(1) इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, अभियोजन के सेस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा प्रशमन, जो उस अपराध के बारे में धारा 22 के अधीन न्यायालय से परिवाद करने के लिए प्राधिकृत है, सरकार के खाते जमा किए जाने के लिए उस व्यक्ति को उतनी राशि के संदाय पर किया जा सकेगा जितनी वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु ऐसे अपराध की दशा में, जो केवल जुमनि से दण्डनीय है ऐसी राशि उस जुमनि की अधिकतम रकम से अधिक न होगी जो उस अपराध के लिए अधिरोपित किया जा सकता है।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन कर दिया जाता है, तब उस अपराध के बारे में, जिसका इस प्रकार प्रशमन किया गया हो, अपराधी के विरुद्ध, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या अतिरिक्त कार्यवाही नहीं की जाएगी और यदि अपराधी अभिरक्षा में हो, तो उसे तत्काल छोड़ दिया जाएगा।]

²[23ख. तलाशी लेने की शक्ति—यदि केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के ऐसे किसी राजपत्रित अधिकारी के पास, ³[जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ने] साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया है यह विश्वास करने का कारण है कि कोई खनिज, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में निकाला गया है या ऐसे खनिज के संबंध में किसी दस्तावेज या वस्तु को किसी स्थान में ⁴[या यान में] छिपा रखा है तो वह ऐसे खनिज, दस्तावेज या वस्तु के लिए तलाशी ले सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध प्रत्येक ऐसी तलाशी को लागू होंगे।]

⁵[23ग. खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को निवारित करने के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार, खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को निवारित करने के लिए तथा उससे संबंधित प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी विषय के बारे में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) परिवहन में खनिजों की जांच-पड़ताल करने के लिए चैक पोस्टों की स्थापना;

(ख) परिवहनित किए जाने वाले खनिजों की मात्रा की माप-तोल करने के लिए तुला चौकियों की स्थापना;

(ग) किसी पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे अथवा खदान अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के अधीन अनुदत्त क्षेत्र से,

1. 1972 के अधिनियम सं. 56 की धारा 13 द्वारा अंतःस्थापित।
2. 1994 के अधिनियम सं. 25 की धारा 9 द्वारा (25-1-1994 से) अंतःस्थापित।
3. 1999 के अधिनियम सं. 38 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1999 के अधिनियम सं. 38 की धारा 18 द्वारा अंतःस्थापित।
5. 1999 के अधिनियम सं. 38 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित।

परिवहनित किए जा रहे खनिज का विनियमन चाहे उन खनिजों को उत्खनित करने की किसी नाम से अनुज्ञा दी गई हो;

(घ) उत्खनन या भंडारण के स्थान या अभिवहन के दौरान खनिजों का निरीक्षण, जाँच-पड़ताल और तलाशी;

(ङ) इन नियमों के प्रयोजनों के रजिस्टर और प्ररूपों का रखा जाना;

(च) वह अवधि, जिसके भीतर और वह प्राधिकारी, जिसे इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन दिए जा सकेंगे और उनके लिए संदत की जाने वाली फीस तथा ऐसे आवेदनों का निपटारा करने के लिए ऐसे प्राधिकारी की शक्तियाँ;

(छ) कोई अन्य विषय जिसका खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के निवारण के प्रयोजन के लिए विहित किया जाना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाए।

(3) धारा 30 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारियों में से किसी अधिकारी या किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को पुनरीक्षित करने की शक्ति नहीं होगी।

24. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति—(1) किसी खान या परित्यक्त खान के कार्यकरण की वास्तविक या भावी स्थिति अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों से संबंध किसी अन्य प्रयोजन से कोई व्यक्ति जो ¹[केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार] द्वारा साधारण ²[***] आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो,—

(क) किसी खान में प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा;

(ख) ऐसी किसी खान का सर्वेक्षण कर सकेगा और उसका माप ले सकेगा;

(ग) किसी खान में पड़े हुए खनिजों के स्टॉक को तोल या माप सकेगा या उसके माप ले सकेगा;

(घ) जिस व्यक्ति का किसी खान पर नियंत्रण हो या जो व्यक्ति किसी खान से संबंध हो उसके कब्जे या शक्ति में की किसी दस्तावेज, पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा और उस पर पहचान-चिह्न लगा सकेगा और ऐसी दस्तावेज, पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकेगा या उसकी प्रतिलिपियाँ बना सकेगा;

(ङ) किसी ऐसी दस्तावेज, पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख के पेश किए जाने का आदेश दे सकेगा जैसी खंड (घ) में निर्दिष्ट है; तथा

(च) किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा जिसका किसी खान पर नियंत्रण हो या जो किसी खान से संबंध हो।

(2) ³[केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार] द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति जिसके लिए उस उपधारा के खंड (ङ) या खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के वाधर पर कोई आदेश या सम्मन निकाला जाए, यथास्थिति, ऐसे आदेश या सम्मन का अनुपालन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा।

1. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 20 द्वारा "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 20 द्वारा "या विशेष" शब्दों का लोप किया गया।

3. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 28 द्वारा "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹[24क. पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे] के धारक के अधिकार और दायित्व—(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी ²[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे] के जारी किए जाने पर ²[ऐसे अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टे के धारक] उसके अभिकर्तियों या उसके सेवकों या कर्मचारों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे उन भूमियों पर, जिनका ²[ऐसा अनुज्ञापत्र, पट्टा या अनुज्ञप्ति अनुवृत्त की गई है], उनके चालू रहने के दौरान सभी समयों पर प्रवेश करें और ऐसी ²[भूमीक्षण, पूर्वोक्त या खनन संक्रियाएँ] चलाएँ जो विहित की जाएँ :

परन्तु कोई भी व्यक्ति किसी भवन में या किसी विनिर्माण से संलग्न किसी परिच्छेदित आंगन या उद्यान में (उसके अधिभोगी की सम्मति के सिवाय) ऐसे अधिभोगी को ऐसा करने के अपने आशय की पहले ही कम से कम सात दिन की लिखित सूचना दिए बिना, प्रवेश नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ²[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे] का धारक उस भूमि की, जो ²[ऐसे अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या पट्टे के अधीन] अनुवृत्त की गई है सतह के अधिभोगी की किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए, ²[जिसके भूमीक्षण खनन या पूर्वोक्त संक्रियाओं से] या उनके परिणामस्वरूप होने की संभावना है या जो हो गया है, प्रतिकर का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संदाय करने के दायित्वाधीन होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम का राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से अवधारण किया जाएगा।]

25. कुछ राशियों की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली—³[(1)] इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन या किसी ⁴[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे] के निबन्धनों और शर्तों के अधीन सरकार को देय कोई भाटक, स्वामित्व कर, फीस या अन्य घन-राशि ऐसे अधिकारी के प्रमाणपत्र पर, जैसा राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, उसी रीति से वसूल की जा सकेगी जिससे भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

⁵[(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन या किसी ⁴[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे] के निबन्धनों और शर्तों के अधीन सरकार को देय कोई भाटक, स्वामित्व कर, फीस या अन्य राशि, किसी ऐसे अधिकारी के प्रमाणपत्र पर जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उसी रीति से वसूल की जा सकेगी मानो वह भू-राजस्व की बकाया हो और प्रत्येक ऐसी राशि, जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पश्चात् सरकार को देय हो जाए, उस पर देय ब्याज सहित, यथास्थिति, ⁴[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे] के धारक की आस्तियों पर प्रथम भार होगी।]

26. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी बातों के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्याधीन रहते हुए जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए,—

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, अथवा

(ख) ऐसी राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा,

भी प्रयोक्तव्य होगी जिसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, ऐसी बातों के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अध्याधीन रहते हुए, जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

1. 1986 के अधिनियम सं० 37 की धारा 17 द्वारा (10-2-1987 से) अतःस्थापित।

2. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 21 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 14 द्वारा धारा 25 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंरचित किया गया।

4. 1999 के अधिनियम सं० 56 की धारा 22 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 14 द्वारा अतःस्थापित।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए कोई नियम किसी राज्य सरकार को या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को शक्तियाँ प्रदान कर सकेगा और उस पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगा अथवा उसे शक्तियों का प्रदान या उस पर कर्तव्यों का अधिरोपण प्राधिकृत कर सकेगा।

27. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण**—किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए नहीं होगी।

28. **नियमों और अधिसूचनाओं का संसद के समक्ष रखा जाना और कतिपय नियमों का संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना**—¹[(1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम और अधिसूचना को, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब यह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि यह नियम या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी। किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमन्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

(2) केन्द्रीय सरकार में निहित नियम बनाने की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) के प्रति निर्देश से बनाए गए कोई नियम तब तक प्रवृत्त नहीं होंगे जब तक वे संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपांतरों के सहित या उनके बिना अनुमोदित न कर दिए गए हों।

²[(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के जहां उसके दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखी जाएगी।]

29. **विद्यमान नियमों का बना रहना**—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) के अधीन बनाए गए या बनाए गए तात्पर्यित सब नियम, जहां तक वे उन बातों के सम्बन्ध में हैं जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है और उससे असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार बनाए गए समझे जाएंगे मानो जिस तारीख को ऐसे नियम बनाए गए थे उस तारीख को यह अधिनियम प्रवृत्त रहा हो और जब तक और जहां तक वे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा अतिरिक्त न कर दिए जाएं, प्रवृत्त बने रहेंगे।

30. **पुनरीक्षण करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति**—केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या विहित समय के अन्दर किसी व्यक्ति पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी ऐसे आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगी³ जो राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा, गौण खनिज से भिन्न किसी खनिज की बाबत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निकाला जाता है।]

⁴[30क. 25 अक्टूबर, 1949 के पूर्व अनुदत्त कोयले के लिए खनन पट्टों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 की उपधारा (1) के और धारा 16 की उपधारा (1) के उपबंध कोयले के बारे के उन खनन पट्टों को या उनके सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, जो अक्टूबर, 1949 के पच्चीसवें दिन के पूर्व अनुदत्त किए गए हों; किन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करना समीचीन है तो, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उक्त सब उपबंध (जिनके अंतर्गत धारा 13 और 18 के अधीन बनाए गए नियम भी हैं) या उनमें से कोई, ऐसे अपवादों और उपांतरों के, यदि कोई हों, अधधीन रहते हुए जैसे उस अधिसूचना या किसी पश्चात्तवर्ती अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे पट्टों को या उनके सम्बन्ध में लागू होंगे।

31. **विशेष मामलों में नियमों को शिथिल करना**—यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी मामले में, धारा 13 के अधीन बनाए गए नियमों में अधिकथित निबंधनों और शर्तों से भिन्न निबंधनों और शर्तों पर किसी खनिज की तलाश या उसे लब्ध करने के प्रयोजनार्थ किसी⁵ [पुनरीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र या खनन पट्टा अनुदत्त किया जाना] नवीकरण या अंतरण या किसी खान का कार्यकरण प्राधिकृत कर सकेगी।

1. 1972 के अधिनियम सं० 56 की धारा 15 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 10 द्वारा (25-1-1994 से) अंतःस्थापित।

3. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 द्वारा (25-1-1994 से) प्रतिस्थापित।

4. 1958 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा (भूतलही प्रभाव से) प्रतिस्थापित।

5. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 23 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(प्रथम अनुसूची—विनिर्दिष्ट खनिज।)

करने के प्रयोजनार्थ किसी ¹[भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वोक्त अनुज्ञापत्र या खनन पट्टा अनुवर्त किया जाना] नवीकरण या अंतरण या किसी खान का कार्यकरण प्राधिकृत कर सकेगी।

32. [1948 के अधिनियम सं० 53 में संशोधन।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1960 (1960 का 58) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित।

33. कतिपय कार्यों को विधिमाम्य बनाना और उनके लिए परित्राण—खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के बारे में 26 जनवरी, 1950 को आरंभ होने वाली और इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के दौरान खान और खनिज (विनियमन और विकास), अधिनियम, 1948 के अधीन सरकार द्वारा या सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, इस विश्वास या तात्पर्यित विश्वास से किए गए कार्यपालक प्राधिकार के सब कार्य, की गई सब कार्यवाहियाँ और दिए गए सब दंडादेश, कि ये कार्य, कार्यवाहियाँ या दंडादेश उक्त अधिनियम के अधीन किए जा रहे, की जा रही या दिए जा रहे हैं, ऐसे विधिमाम्य और प्रवर्तनशील होंगे, मानो वे विधि के अनुसार किए गए, की गई या दिए गए हों और कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस आधार पर न की जाएगी और न चालू रखी जाएगी कि कोई ऐसे कार्य, कार्यवाहियाँ या दंडादेश विधि के अनुसार नहीं किए गए, की गई या दिए गए।

¹[प्रथम अनुसूची

[धारा 4 (3), 5 (1), 7 (2) और 8 (2) देखिए]

विनिर्दिष्ट खनिज

भाग क

हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज

1. कोयला और लिग्नाइट।

भाग ख

परमाणु खनिज

1. बेरिल और अन्य बेरिलियमधारी खनिज।
2. लीथियमधारी खनिज।
3. "दुर्लभ मृदा" समूह के खनिज जिनमें यूरेनियम और थोरियम, अंतर्बिष्ट हैं।
4. नायोबियमधारी खनिज।
5. फास्फोराइट और अन्य फास्फेटी अयस्क जिनमें यूरेनियम अंतर्बिष्ट है।
6. पिचब्लेंड और अन्य यूरेनियम अयस्क।
- ²[7. आइट्रेनियम, जिसमें खनिज और अयस्क होते हैं (इलमेनाइट, रूटाइल और लियोकोक्सीन)।]
8. टैन्टैलियमधारी खनिज।
9. यूरेनीफेरस ऐलैनाइट, मोनेजाइट और अन्य थोरियम खनिज।
10. ताँबा और स्वर्ण के निष्कर्षण के पश्चात् अयस्कों के बचे हुए यूरेनियमधारी अवशिष्ट, इलमेनाइट और अन्य आइट्रेनियम अयस्कों।

²[11. जरकानियम, जिसमें जरकान सहित खनिज और अयस्क होते हैं।];

भाग ग

धात्विक और गैर धात्विक खनिज

1. एस्बेस्टास।
2. बाक्साइट।

1. 1994 के अधिनियम सं० 25 की धारा 12 द्वारा (25-1-1994 से) प्रथम अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 24 द्वारा मद 7 और 11 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(प्रथम अनुसूची—विनिर्दिष्ट खनिज। द्वितीय अनुसूची—स्वामित्व की दरें।)

3. क्रोम अयस्क।
4. ताप अयस्क।
5. स्वर्ण।
6. लौह अयस्क।
7. सीसा।
- 1।8.*
9. मैंगनीज अयस्क।
10. बहुमूल्य रत्न।
11. जस्ता।

द्वितीय अनुसूची
(धारा 9 देखिए)
स्वामित्व की दरें

²[सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, असम और पश्चिमी बंगाल राज्य के सिवाय, लागू स्वामित्व की दरें।

1. एगोट	तिहत्तर रुपए प्रति टन
2. (i) ऐपाटाइट	
(क) 27% पी2ओ5 से अधिक युक्त अयस्क	सत्तर रुपए प्रति टन
(ख) 20% पी2ओ5 से 27% पी2ओ5 तक युक्त अयस्क	चालीस रुपए प्रति टन
(ग) 20% से कम पी2ओ5 युक्त अयस्क	सत्रह रुपए प्रति टन
(ii) शैल फास्फेट	
(क) 30 प्रतिशत पी2ओ5 से ऊपर	एक सौ आवन रुपए प्रति टन
(ख) 25 प्रतिशत पी2ओ5 से ऊपर और 30 प्रतिशत पी2ओ5 तक	छियानवे रुपए प्रति टन
(ग) 20 प्रतिशत पी2ओ5 से ऊपर और 25 प्रतिशत पी2ओ5 तक	छप्पन रुपए प्रति टन
(घ) 20 प्रतिशत पी2ओ5 तक	तेईस रुपए प्रति टन
3. ऐस्बेस्टास :	
(क) क्रिसोटाइल	सत्त सौ छब्बीस रुपए प्रति टन
(ख) ऐम्फिबोस	अट्ठाईस रुपए प्रति टन
4. बैराइट्स :	
(क) श्वेत (हिमश्वेत और उच्चतर हिमश्वेत सहित)	चौवन रुपए प्रति टन
(ख) आफ कलर	तीस रुपए प्रति टन
5. बोक्साइट	चौतीस रुपए प्रति टन
6. ब्राउन इक्वेनाइट (ल्यूक्रॉयक्सीन)	एक सौ तेरह रुपए प्रति टन
7. कैडमियम	एक टन अयस्क में कैडमियम धातु के प्रति एक प्रतिशत पर चौहत्तर रुपए और अनुपातिक आधार पर।

1. 1999 के अधिनियम सं० 38 की धारा 24 द्वारा मद 8 का लोप किया गया।

2. अधिसूचना सं० सा० का० नि० 100 (अ०) लारीख 17-2-1992 द्वारा प्रतिस्थापित देखिए भारत का राजपत्र, भाग II खण्ड 3(i) लारीख 17-2-1992।

(द्वितीय अनुसूची—स्वामिस्व की दरें।)

8. कैल्साइट चबालीस रुपए प्रति टन
9. चीनी मिट्टी : जिसे काओलिन भी कहा जाता है (जिसके अन्तर्गत बालकले भी है) और श्वेत शैल :
 (क) अपरिष्कृत चौदह रुपए प्रति टन
 (ख) प्रसेस्कृत (जिसके अन्तर्गत घुली हुई भी है) बासठ रुपए प्रति टन
10. क्रोमाइट (संपीड़ित, अचूर्णशील अयस्कर और सॉंद दोनों) :
 (क) जिसमें 42% सी आर2 ओ3 और उससे ऊपर हो दो सौ पचपन रुपए प्रति टन
 (ख) जिसमें 47% से कम सी आर2 ओ3 और 40% से अधिक सी आर2 ओ3 हो एक सौ पैंतीस रुपए प्रति टन
 (ग) जिसमें 30% से 40% तक सी आर2 ओ3 हो नब्बे रुपए प्रति टन
 (घ) जिसमें 30% से कम सी आर2 ओ3 हो तेईस रुपए प्रति टन]

11. कोयला :

(अ) पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में उत्पादित कोयला :—

(i) ग्रुप 1 कोयला :

- (क) कोककारी कोयला
 इस्पात ग्रेड I
 इस्पात ग्रेड II
 वाशरी ग्रेड I
 (ख) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला
- केवल एक सौ पचास रुपए प्रति टन

(ii) ग्रुप 2 कोयला :

- (क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड II
 कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड III
 (ख) अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड I
 अर्द्ध-कोककारी कोयला ग्रेड II
 (ग) गैर कोककारी कोयला ग्रेड क
 गैर कोककारी कोयला ग्रेड ख
 (घ) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकाला हुआ कोयला।
- केवल एक सौ बीस रुपए प्रति टन

(iii) ग्रुप 3 कोयला :

- (क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड IV
 (ख) गैर कोककारी कोयला ग्रेड ग
- केवल पचहत्तर रुपए प्रति टन

(iv) ग्रुप 4 कोयला :

- (क) गैर कोककारी कोयला ग्रेड घ
 (ख) गैर कोककारी कोयला ग्रेड ङ
- केवल पैंतालीस रुपए प्रति टन

(v) ग्रुप 5 कोयला :

- (क) गैर कोककारी कोयला ग्रेड च
 (ख) गैर कोककारी कोयला ग्रेड छ
- केवल पचीस रुपए प्रति टन

“लिंगनाइट”

केवल दो रुपए पचास पैसे प्रति टन

1. अधिसूचना सं० सा० का० नि० 516 (अ०) तारीख 1-8-1991 द्वारा प्रतिस्थापित, देखिए भारत का राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(ii) तारीख 1-8-1991।

(द्वितीय अनुसूची—स्वामिस्व की दरें।)

(vi) ग्रुप 6 कोयला:

आन्ध्र प्रदेश राज्य में उत्पादित कोयला (सिंगरैनी कोलियरी } केवल सत्तर रुपए प्रति टन
कंपनी लि०)¹[(ख) पश्चिमी बंगाल और मेघालय राज्यों में उत्पादित कोयला²[(i) ग्रुप —I कोयला :

(क) कोककारी कोयला

इस्पात ग्रेड I

सात रुपए प्रति टन

इस्पात ग्रेड II

इस्पात ग्रेड I

(ख) मेघालय राज्य में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला एक सौ पचास रुपए प्रति टन

(ii) ग्रुप —II कोयला :

(क) कोककारी कोयला

वाशरी ग्रेड II

छह रुपए पचास पैसे प्रति टन

कोककारी कोयला

वाशरी ग्रेड III

(ख) अर्द्ध कोककारी कोयला

ग्रेड I

छह रुपए पचास पैसे प्रति टन

अर्द्ध कोककारी कोयला

ग्रेड II

(ग) अकोककारी कोयला

ग्रेड क

छह रुपए पचास पैसे प्रति टन

अकोककारी कोयला

ग्रेड ख

(घ) मेघालय राज्य में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकाला हुआ कोयला एक सौ बीस रुपए प्रति टन।]]

(iii) ग्रुप — III कोयला :

(क) कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड IV

केवल पांच रुपए पचास पैसे प्रति टन

(ख) गैर कोककारी कोयला वाशरी ग्रेड ग

(iv) ग्रुप — IV कोयला :

(क) गैर कोककारी कोयला ग्रेड घ

केवल चार रुपए तीस पैसे प्रति टन

(ख) गैर कोककारी कोयला ग्रेड ड.

(v) ग्रुप — V कोयला :

(क) गैर कोककारी कोयला ग्रेड च

केवल दो रुपए पचास पैसे प्रति टन

(ख) गैर कोककारी कोयला ग्रेड छ

स्पष्टीकरण — इस पद के प्रयोजन के लिए कोयला के ऐसे प्रत्येक ग्रेड के लिए विनिर्देश यह होगा जो कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 के खंड 3 के अधीन विहित है।]

³[12. ताम्र अयस्क

एक टन अयस्क में ताम्र धातु के प्रति एक प्रतिशत पर सत्रह रुपए और अनुपातिक आधार पर

1. अधिसूचना सं० सा० का० नि० 27 (ख०) तारीख 13-1-1995, द्वारा प्रतिस्थापित। देखिए भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II खण्ड 3(i) तारीख 13-1-1995।
2. अधिसूचना सं० सा० का० नि० 332 (ख०) तारीख 25-3-1994 द्वारा प्रतिस्थापित। देखिए भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II खण्ड 3(i) तारीख 25-3-1994।
3. अधिसूचना सं० सा० का० नि० 100 (ख०) तारीख 17-2-1992, द्वारा प्रतिस्थापित। देखिए भारत का राजपत्र असाधारण, भाग II खण्ड 3(i) तारीख 17-2-1992।

(द्वितीय अनुसूची—स्वामिस्व की दरें।)

13. कोरंडम	दो सौ दस रुपए प्रति टन
14. हीरा	गर्तमुख पर विक्रय कीमत का बीस प्रतिशत
15. डायस्पोर	तिरासी रुपए प्रति टन
16. डोलोमाइट	पच्चीस रुपए प्रति टन
17. फेल्सपार	पन्द्रह रुपए प्रति टन
18. अग्निसह मृत्तिका (जिसमें प्लास्टिक, पार्श्व, अश्वमुदणीय और प्राकृतिक पोजोलोनिक मृत्तिका भी है)	तेरह रुपए प्रति टन
19. फ्लुओरस्पर (जिसे फ्लुओराईट भी कहा जाता है)	
(क) जिसमें 85 प्रतिशत या अधिक सी एफ ₂ है	दो सौ सत्तर रुपए प्रति टन
(ख) जिसमें 70 प्रतिशत या उससे अधिक सी एफ ₂ किन्तु 85 प्रतिशत सी एफ ₂ से कम है	एक सौ सत्तर रुपए प्रति टन
(ग) जिसमें 30 प्रतिशत या उससे अधिक सी एफ ₂ किन्तु 70 प्रतिशत सी एफ ₂ से कम है	एक सौ तेरह रुपए प्रति टन
(घ) जिसमें 30 प्रतिशत सी एफ ₂ या उससे कम है	पैंताल्लोस रुपए प्रति टन
20. गार्नेट (अपघटक)	पैताल्लोस रुपए प्रति टन
21. स्वर्ण	(क) आयस्क के प्रति टन में स्वर्ण प्रत्येक ग्राम पर ग्यारह रुपये और अनुपातिक आधार पर (ख) उपोत्पाद स्वर्ण दस रुपए प्रति ग्राम
22. ग्रेफाइट :	
(क) 80 प्रतिशत या उससे अधिक नियत कार्बन सहित	एक सौ पचासी रुपए प्रति टन
(ख) 40 प्रतिशत या उससे अधिक नियत कार्बन सहित किन्तु 80 प्रतिशत नियत कार्बन से कम	एक सौ रुपए प्रति टन
(ग) 20 प्रतिशत या उससे अधिक नियत कार्बन सहित किन्तु 40 प्रतिशत नियत कार्बन से कम	चालीस रुपए प्रति टन
(घ) 20 प्रतिशत नियत कार्बन से कम	पच्चीस रुपए प्रति टन
23. जिप्सम	बीस रुपए प्रति टन
24. इलमेनाइट	चौतीस रुपए प्रति टन
25. लोहा	
(i) अयस्क लम्पस	
(क) जिसमें 65 प्रतिशत या अधिक लोहा हो	अठारह रुपए प्रति टन
(ख) जिसमें 62 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 65 प्रतिशत से कम लोहा हो	दस रुपए पचास पैसे प्रति टन
(ग) जिसमें 60 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 62 प्रतिशत से कम लोहा हो	सात रुपए प्रति टन
(ख) जिसमें 65 प्रतिशत से कम लोहा हो	पांच रुपए प्रति टन
(ii) अयस्क चूर्ण	
(अ) (चूर्ण अयस्क के खनन और चिक्रण किए जाने के अनुबंध में उत्पादित प्राकृतिक चूर्ण भी है।)	
(क) जिसमें 65 प्रतिशत या उससे अधिक लोहा हो	तेरह रुपए प्रति टन
(ख) जिसमें 62 प्रतिशत या उससे अधिक लोहा हो किन्तु 65 प्रतिशत से कम लोहा हो	सात रुपए प्रति टन

(द्वितीय अनुसूची—स्वामित्व की दरें।)

(ग) जिसमें 62 प्रतिशत से कम लोहा हो	पाँच रुपए प्रति टन
(आ) निम्न ग्रेड अयस्क जिसमें 40 प्रतिशत या उससे कम लोहा हो के सज्जीकरण और/या सॉट्रण द्वारा निर्मित सॉट्रण पर	दो रुपए पच्चीस पैसे प्रति टन
26. कायनाइट	
(क) जिसमें 40 प्रतिशत और उससे ऊपर ए एल ₂ ओ ₃ है	पचासी रुपए प्रति टन
(ख) जिसमें 40 प्रतिशत से कम ए एल ₂ ओ ₃ है	चालीस रुपए प्रति टन
27. सीसा अयस्क	एक टन अयस्क में धातु के प्रति एक प्रतिशत पर आठ रुपए और आनुपातिक आधार पर
28. चूना खोल (चूनेदार और बालू खड़िया सहित)	पच्चीस रुपए प्रति टन
29. चूना पत्थर (जिसमें चूना कंकड़ भी है)	
(क) एल. एन. ग्रेड (जिसमें सिलिका की मात्रा 1.5 प्रतिशत से कम है)	पचास रुपए प्रति टन
(ख) अन्य	पच्चीस रुपए प्रति टन
30. मैग्नेजाइट	पच्चीस रुपए प्रति टन
31. मैग्नीज अयस्क :	
(क) मैग्नीज हाइड्रॉक्साइड (जिसमें 78 प्रतिशत या उससे अधिक एम एन ओ ₂ और 4 प्रतिशत या उससे कम लोहा है)	एक सौ सात रुपए प्रति टन
(ख) 46 प्रतिशत एम. एन. और उससे ऊपर	चालीस रुपए प्रति टन
(ग) 35 प्रतिशत एम एन और उससे ऊपर किंतु 46 प्रतिशत एम एन से कम	तेईस रुपए प्रति टन
(घ) 25 प्रतिशत एम एन से ऊपर किंतु 35 प्रतिशत एम एन से कम	सत्रह रुपए प्रति टन
(ङ) 25 प्रतिशत एम एन से कम	सात रुपए प्रति टन
32. अभ्रक :	
(क) अपरिष्कृत अभ्रक	चौतीस रुपए प्रति 100 कि. ग्रा.
(ख) अभ्रक अपशिष्ट और कतरन	चौदह रुपए प्रति 100 किलोग्राम
33. सोनोजाइट	एक सौ तेरह रुपए प्रति टन
34. निकल अयस्क	एक टन में निकल धातु के प्रति एक प्रतिशत पर दो रुपए पच्चीस पैसे और आनुपातिक आधार पर
35. ओकर	दस रुपए प्रति टन
36. बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्न (एंगोट और हीरा के सिवाय)	गर्तमुख पर विक्रय कीमत का बीस प्रतिशत
37. पाइराइट्स	एक टन में गंधक युक्त पाइराइट्स के एक टन पर साठ पैसे प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर
38. पाइरोफालाइट	बाईस रुपए प्रति टन
39. क्वार्टज सिलिका बालू और साँचा बालू	बारह रुपए प्रति टन
40. क्वार्टजाइट	बारह रुपए प्रति टन
41. स्टाइल	दो सौ पच्चीस रुपए प्रति टन

(द्वितीय अनुसूची—स्वामित्व की दरें।)

42. भराई के लिए बालू	चालीस पैसे प्रति टन
43. सेलेनाइट	पचास रुपए प्रति टन
44. सिलोमेनाइट	नब्बे रुपए प्रति टन
45. चांदी	तीन सौ चालीस रुपए प्रति धातु किलोग्राम
46. स्लेट	चालीस रुपए प्रति टन
47. टेलक, स्टोटाइट और सोपस्टोन	
(क) कीटनाशक ग्रेड	तेईस रुपए प्रति टन
(ख) कीटनाशक ग्रेड से भिन्न	छपन्न रुपए प्रति टन
48. टंगस्टन अयस्क	प्रति टन में डब्ल्यू० ओ० 3 का प्रति प्रतिशत अयस्क पर तीस रुपए प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर
49. यूरेनियम	0.05 प्रतिशत मात्रा तक यू३ ओ० 8 युक्त शुष्क अयस्क के लिए, जिसमें 0.01 प्रतिशत बढ़ोतरी/कमी के लिए 1 रुपया प्रति मीट्रिक टन अयस्क की आनुपातिक बढ़ोतरी/कमी है, तीन रुपए पचास पैसे
50. बरमी खसूलाइट	अट्ठाइस रुपए प्रति टन
51. बोलास्टोनाइट	अस्सी रुपए प्रति टन
52. जस्ता अयस्क	अयस्क के प्रति टन में जस्ता धातु की प्रतिशतता का सोलह रुपए प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर।
53. तुरसावा	एक सौ अस्सी रुपए प्रति टन
54. सभी अन्य खनिज, जो इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	गर्तमुख पर विक्रय कीमत का बारह प्रतिशत

टिप्पण : उपर्युक्त खनिजों की भारत असम और पश्चिमी बंगाल राज्यों के लिए स्वामित्व की दरें वही रहेंगी जो भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का० नि० 458 (अ) तारीख 5 मई, 1987 में विनिर्दिष्ट है।

(तृतीय अनुसूची—अनिवार्य भाटक।)

¹(तृतीय अनुसूची

(धारा 9क देखिए)

अनिवार्य भाटक

(1) पट्टों को लागू अनिवार्य भाटक, उनसे भिन्न जिनको, संबंधित पट्टेदार के स्वामित्वाधीन उद्योगों को कच्ची सामग्री प्रदाय के लिए अभिप्राप्त किया गया है :

(प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर अनिवार्य भाटक की दरें रुपये में)

खनन पट्टा प्रवर्ग	पट्टे का पहला वर्ष	पट्टे का 2 से 5वां वर्ष	पट्टे का 6 से 10वां वर्ष	पट्टे का 11 वर्ष और उसके आगे
1	2	3	4	5
1. 50 हेक्टेयर तक पट्टा क्षेत्र	शून्य	30	60	90
2. 50 हेक्टेयर तक किन्तु 100 हेक्टेयर से अधिक पट्टा क्षेत्र	शून्य	40	80	120
3. 100 हेक्टेयर से अधिक पट्टा क्षेत्र	शून्य	60	100	150

(2) संबंधित पट्टेदार के स्वामित्वाधीन उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के प्रदाय के लिए अभिप्राप्त किए गए पट्टे की दरों में अनिवार्य भाटक की दरें पट्टा क्षेत्र को विचार में लाए बिना ऊपर मद सं० 1 की जाबर्त जो दी गई हैं उसके अनुसार लागू होंगी।)

1. अधिसूचना सं० सा० का० नि० 458 (अ०) तारीख 5-5-1987 द्वारा (5-5-1987 से) प्रतिस्थापित।